भारत का राज्यंत्र : सितम्बर 26, 2009/आश्विन 4, 1931 भाग ॥-खण्ड 4]

45

(11)

(iii) 5% by promotion out of graduate clerks-cum-Typists on passing the departmental examination

Note: Direct Recruitment of Auditors will be made on the basis of Examination conducted by Staff Selection Commission.

(ii) 5% by promotion from amongst graduate Clerks-cum-Typists having a minimum of five years of service on passing the Departmental Examination by 1.5 post of Auditor.

Note 1: The Departmental Examination for promotion out of graduate Clerkscum-Typists shall be conducted as and when sufficient number of vacancies become available. During the intervening period, vacancies earmarked for graduate elerks-cum-typists shall neither lapse nor be filled up.

Note 2: Clerks-cum-Typists and Data Entry Operators who pass Part I Subordinate Accounts Service Examination shall be promoted out of turn to the grade of Auditor, against the aforesaid 45% quota.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

Not applicable.

(14)

AMIT COWSHISH, Jt. Secy. and Additional Financial Advisor

Group 'C' Department Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:

For offices other than the Controller General of Defence Accounts :-

- 1. Principal Controller of Defence Accounts or Controller of Defence Accounts or Additional Controller of Defence Accounts or Joint Controller of Defence Accounts
- 2. Deputy Controllers of Defence Accounts
- 3. Assistant Controllers of Defence Accounts or Senior Accounts Officer

–-Member -Member

For the office of the Controller General of Defence Accounts :-

1. Senior Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration) or Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration)

-Chairman

2. Assistant Controllers General of Defence Accounts

-Member

3. Senior Accounts Officer

--Member

[F. No. 9(1)/C/2009]

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2009

का.नि.आ, 23.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा लेखा विभाग (श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4) भर्ती नियम, 1970 को, जहां तक ये निम्न श्रेणी लिपिकों के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, रंक्षा लेखा विभाग में लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (लिपिक) भर्ती नियम, 2009 है। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं। 3362 4709-2

- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों की भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।
 - 4. निरर्हताएं.—
 - (क) जिसने उस व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीविज हं, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु थिंद केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिडछे वर्गों, भूतपूव सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

*	į.	अनुः	पूची		
पदों की संख्या	वर्गीकरण	वंतन बैंड एवं ग्रेड वंतन अथवा वंतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
		4	,	नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	
(2) 🤾	· (3 ₁) .	(4)	(5)	(6)	(7)
1808* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वेतन बेंड । 5200-20200 रूपये तथा ग्रेड वेतन 1900 रूपये सहित	अचयन	नहीं 	18 सं 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेश अथवा आदेशों के अनुसार सरकार कार्मिकों को 40 वर्ष तक छूट टिप्पण : आयु सीमा की प्रमाणिव तारीख का निर्धारण कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निश्चित किया जाएगा
	(2) 1808* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	(2) (3) 1808* (2009) सामान्य केन्द्रीय *कार्यभार के सेवा, समूह 'ग' आधार पर अननुसचिवीय परिवर्तन किया (अराजपत्रित)	पदों की वर्गीकरण वेतन वैंड एवं संख्या ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान (2) (3) (4) 1808* (2009) सामान्य केन्द्रीय वेतन बैंड । *कार्यभार के सेवा, समूह 'ग' 5200-20200 आधार पर अननुसचिवीय रूपये तथा ग्रेड परिवर्तन किया (अराजपत्रित) वेतन 1900	संख्या ग्रेड वेतन अथवा अचयन वेतनमान पद (2) (3) (4) (5) 1808*(2009) सामान्य केन्द्रीय वेतन हैंड । अचयन क्रार्थभार के सेवा, समूह 'ग' 5200-20200 आधार पर अनुसचिवीय रुपये तथा ग्रेड परिवर्तन किया (अराजपत्रित) वेतन 1900	पदों की वर्गींकरण वेतन वैंड एवं चयन पद सेवा में जोड़े गए संख्या ग्रेड वेतन अथवा वर्षों का फायदा अथवा अचयन केन्द्रीय सिविल वेतनमान पद सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुतेय है या नहीं (2) (3) (4) (5) (6) 1808* (2009) सामान्य केन्द्रीय वेतन बैंड । अचयन नहीं *कार्यभार के सेवा, समूह 'ग' 5200-20200 आधार पर अननुसचिवीय कपये तथा ग्रेड परिवर्तन किया (अराजपत्रित) वेतन 1900

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंताएं प्रोन्तत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिर्वाक्षा की अवधि, यदि कोई हो
in A	या नहीं	
(8)	(9)	(10)
 िकसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष अर्हता अंग्रेजी में टंकण गित 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 	हां। ग्रेड वेतन 1800 रुपये सहित वेतन बैंड-। के कर्मचारियों की परीक्षा के लिए अंतिम आयु सीमा 45 वर्ष हैं।	दो वर्ष
25 शब्द प्रति मिनट	(अनु जाति/अनु–जनजाति के लिए 50 वर्ष)	

भारत का राजपत्र : सितम्बर 26, 2009/आश्विन 4, 1931

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रान्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पद्में की प्रतिशहरा प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से पदीन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा

(11)

(12)

- (i) सीधे भर्ती द्वारा 90%।
- (ii) विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर ऐसे कर्मचारी जिन्हें वेतन बेंड-। तथा ग्रेड वेतन 1800 रुपये में रखा गया है और जिसने उस ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, ऐसे कर्मचारियों में से 10% रिक्तियों को भरा जाएगा। परीक्षा के लिए अंतिम आयु सीमा 45 वर्ष है। (अनु. जाति/अनु. जनजाति के लिए 50 वर्ष)

टिप्पण 1 : लिपिक सह टंकक की सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित परीक्षा के आधार पर की जाएगी।

टिप्पण 2 : यदि खंड (ii) के अंतर्गत उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध रिक्तियों से अधिक कर्मचारी हो तो ऐसे कर्मचारियों को अनुवर्ती वर्षों में उत्पन्न रिक्तियों के लिए इस तरह विचार किया जाएगा कि पहले परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों को बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों से पहले विचार किया जाएगा। विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर ग्रेड वेतन 1800 रुपये सह वेतन बेंड-। के ऐस कर्मचारी जिसने ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

· [फा. सं. 9(2)/सी/2009]

अमित कौशिश, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सं आयोग से परामर्श किया जाएगा			संघ लोक	सेवा
	(14)	1921 00		
7	नागू नहीं होत	ता ।		
	,*			
3		sit o		
8 9 8	34	27 1/4		
	200	78 g		
			83	
(*)	52	N ga en		
	m ²			¥
		**		
	आयोग र	आयोग से परामर्श f (14)	आयोग से परामर्श किया जाएगा (14) लागू नहीं होता।	(14) लागू नहीं होता ।

New Delhi, the 15th September, 2009

- S.R.O. 23.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department (Class-III and IV) Recruitment Rules, 1970 inso far as they relate to the post of Lower Division Clerks as as respects things done or omitted to be do. before such supersession, the President hereby makes the following rule, regulating the method of recruitment to the posts of Clerk in the Defence Accounts Department, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Clerk) Recruitment Rules, 2009.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.
 - 4. Disqualifications.—No person, shall be eligible for appointment to the said post:
 - (a) who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classificati	on ,	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or non- selection post	of added years	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	n2 - 1	(4)	(5)	(6)	(7)
Clerk-cum- Typist		General Central Services (Group 'C' Ministeria Non-gazet	1.	Pay Band 1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900	Non- Selection	No	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required	Whether age and educa	ational qualificatons	Period of probation,
for direct recruits	prescribed for direct re case of promotees		ifany
(8)	(ö)		. (10)
	Yes. The maximum age		Two years
	to those in Pay Band-		
	Rs. 1800/- shall be 45	N	
English or 25 words per minute in Hindi.	Scheduled Castes/Sch	eduled Tribes)	
Method of recruitment: whether by direct	In case of recruitme	nt by promotion/depu	tation/absoration
recruitment or by promotion or by deputation/		romotion/deputation/a	
absorption and percentage of the posts to be	be made		
filled by various methods	·*	e 8	
(11)		(12)	
i) 90% by Direct Recruitment.	1995	with Grade pay of Rs.	
(ii) 10% vacancies shall be filled up from amongst		ice in the grade on the	basis of a departmenta
he staff who are placed in Pay Band-1 with Grade	qualifying examinati		4
Pay of Rs. 1800 and have rendered not less than		all s	
three years regular service in the grade on the basis of a departmental qualifying examination. The			
maximum age limit for examination is 45 years (50			e
years for Scheduled Caste/Scheduled Tribe).	9		
Note 1 : Direct Recruitment of Clerk-cum-Typist		***	
will be made on the basis of Examination conducted		A	
by Staff Selection Commission.	\$	0.77	
Note 2: If more employees than the number of		1 N	
vacancies available under Clause (ii) qualify at the said examination, such excess number of employees			
shall be considered for filling the vacancies arising		4.2 21 14	
in the subsequent years so that the employees	185	4.4 Y	
qualifying at an earlier examination are considered			
before those qualify at a later examination.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***************************************
If a Donard out of Donard to Committee wist who	. ia ita a	Ciamana	ich Union Public Servi
If a Departmental Promotion Committee exists, wha	is its composition		e consulted in makir
(13)		(14)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for o	considering Promotion)	Not applie	
consisting of;			
For offices other than the Controller General of De	efence Accounts :	\$ 500	
1. Principal Controller of Defence Accounts or C	Controller ·	s ^{-do}	
of Defence Accounts or Additional Control		fig." All	
Defence Accounts or Joint Controller of Defen			*
Accounts 2. Deputy Controllers of Defence Accounts	—Chairman —Member	- Th	
3. Assistant Controllers of Defence Accounts			
Senior Accounts Officer	Member	g 57 40	
For the office of the Controller General of Defence		20 V VI	1901 1901
1. Senior Deputy Controller General of Defence Ac			
(Administration) or Deputy Controller Gene		Ų.	
Defence Accounts (Administration) 2. Assistant Controllers General of Defence Account	—Chairman ints —Member	in ed	
 Assistant Controllers General of Defence Accounts Senior Accounts Officer 	Member	and Mark	1
		- P - P - P - P - P - P - P - P - P - P	[F. No. 9(2)/C/200
33629709-3	AMIT COWSHI	SH, Jt. Secy. and Add	
		want ou overy, alla rada	
<u></u> /			

69

- 16. 2/5 GR (FF)
 Pin-910152
 C/o 56 APO

 17. 40 RR (DOGRA)
 Pin-934540
 C/o 56 APO
- 18. 13 JAK ŘÍF (KARGIÍ) Pin-911113 C/o 56 APQ
- 19. "5171 ASC BN (MT) Pin-905171 C/o 56 APO

- 20. 6], Rastriya Rifles Battalion
 (Jat)
 Pin-994561
 C/o 56 APO
- 21. HQ Commander Works
 Engineers
 Dehradun

[F. No. 1(1)/2007-D(OL-1)] PAMANYU CHATTERJEE, Jt. Secy. (Trg.)

(वित्त प्रभागः)

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 20,11

का.नि.आ. 9,—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा लेखा विभाग (लिपिक) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (लिपिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है है
 - (2) ये राजपत्र में प्रंकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. रक्षा लेखा विभाग (लिपिक) भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित अनुसूची द्वारा विद्यमान अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

पद का नाम . पदों की	संख्या वर्गीकरण	वेतन बैंड और ' ग्रेड वेतन/ वेतनमान	पद		डे गए सीधे भर्ती किए जाने वाले
	20	Anna maria	अथवा अचयन	केन्द्रीय सि सेवा (पेंश	
			प्द	नियम, 197 नियम 30 अधीन अनु	72 के के
(1) (2)	. (3).	(4)	(5)	ै है या नहीं (6)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
्रि लिपिक- 1808 *	रसधारण	वेतन बैंड-1,	अचयन	(6) नहीं	(7) 18 से 27 वर्ष के बीच
सह-टंकक (2011 *कार्यभ आधार परिवर्तन जा सक	ार के सेवा, पर (समूह ग') । किया अनुसन्विवीय,	5200- 20 20 0 ਨ + ਪ੍ਰੇਫ ਕੇਰਜ 1900 ਨ		,	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए र अनुदेशों या आदेशों के अनुस् सरकारी सेवकों के लिए शिधि करके 40 वर्ष तक की जा सक है।) टिप्पण अग्रमु सीमा अवधारित क के लिए निर्णायक तारीख कर्मच चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगें (जहां कर्मचारी चयन आयोग माध्यम से भर्ती नहीं की जाती वहां आयु सीमा अवधारित करने लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्रा

70		or DI
THE GAZETITE OF INDIA		8.7.
्पीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	ARY 5, 2011/MAGHAL 16	
और अप कर्न वाले व्यक्तियों के लिए अपेरिक के	[PART]	ISEC. 4
नार अन्य अहताए	ताव मता किए सार्व	
	व्यक्तियों की लिए बिहित अगु	देकोई हो
	आर शिक्षक अर्थ	1
	ं गाहि । जिस्से सहस्ता क्रिका माहिता है।	1
(8)	या नहीं	550
 किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या तिश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य । 	(0)	34
उत्तीर्ण या समतुल्य ।	(10)	 ;
2. कांपरर पर अंगी ने अ	이, 여기(11) 표구등 11111111111111111111111111111111111	
2. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में उठ शब्द प्रति मिनंट वा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट टकण निति	सीमा तक्क	1.
(अनुज्ञात समय — 10 मिन्द्र)		1
7149 VICE 75 - 7 - 1	AAAAA	1,
प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के खीसत से 10500 केडीपीएच/9000 केडिपीयन के खीसत से 10500		
केडीपीएच/9000 केडिपीएच के औसत से 10500 और 30 शब्द प्रति मिनट)		•
अत ।मन्ट) के अति ।मन्ट)		10
भूती हुई हुन	- A Shillian	
भर्ती की पद्धति । भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा पर्य	V.	
आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पदों की	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां वि प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जगाण	
A STATE OF THE STA	प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/आमेलन् किया जाएगा	निमें से
(11)	- જાયાં માના લાણના	304
(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	(12)	2
(ii) विभागीय अर्हता परीक्षा की आधार पर ऐसे समूह 'ग'	The state of the s	
कर्मचारिवंद में मे 1000 हर । जाबार पर ऐसे समह 'ग'	जैसा स्तंभ (11) में उल्लिखित है।	
में ग्रेंड वेतन 1800 मार ने	~ . `	
हों या समतल्य अन्य 🛶 भार जी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण		
वर्ष नियमित सेवा की हो । परिकर के जिसने उस श्रेणी में तीन	<i>A</i>	22
45 वर्ष है।		
(अनु. जाति/अन् जनजनि -> ६	х я	
	** _ <u>*</u>	
टिप्पण : यदि खंड (ii) के अधीन उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध रिक्तियों से अधिक कर्मचारी हो तो ऐसे कर्मचारियों को अनुवर्ती वर्षों में उत्पन्न रिक्तियों के लिए इस तरह किया कि	н	
उत्पन् रिक्तियों हो है कि पा रेव कमचारियों की अनुवर्ती वर्षों में		
उत्पन रिक्तियों के लिए इस तरह किया किया जाएगा कि पहले परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों को बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों से पहले विचार किया जाएगा।	·*	
से पहले विचार किया जाएए ।		
(iii) 5% रिक्तियां गेरो नाम (मा	g.	
उपयुक्तता के आधार पर भरा जाएगा जिन्होंने ग्रेड वेतन 1800 स्पूप	• 🙀 🛴	4.
वाले पदों में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।	j.	
., 14 41 6 1	$\Gamma_{i} = \Gamma_{i} = \Gamma_{i}$	
पदि विभागीय प्रोन्नित समिति है तो उसकी संरचना		
ता तानात ह तो उसकी सरचना		-
	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा	
(13)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोच्नति समिति (प्रोन्नति को संबंध में विचार करने	(14)	27 8
के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी	लाग् नहीं है ।	_
नियंत्रक सं भिन्न कार्य	. राग्युनिहा ह ।	a .
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100 g	
रक्षा लेखा अपर नियंत्रक/रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक	a P	
		<u>10</u>
2 4 1		
	T T	
		38
	ž. gr	*

(13)		
2. रक्षा लेखा उप नियंत्रक .	—सदस्य	
3. रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक	—सदस्य	
रक्षा लेखा महानिषंत्रक कार्यालयों के लिए— 1. रक्षा लेखा ज्येष्ठ उप महानियंत्रक (प्रशा.)/		÷
 रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.)/ रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.) 	—अध्यक्ष	
2. रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक	—सदस्य	
3. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी	—सदस्य	

[फा. सं. 9(2)/सी/09]

अमित कौशिश, अपर विजीय सलाहकार और अपर सचिव

हिप्पणी : मूल नियम, का.नि.आ. 23, तारीख 15 सितम्बर, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे।

. (Finance Division)

New Delhi, the 19th January, 2011

- S.R.O. 9.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Accounts Department (Clerk) Recruitment Rules, 2009 namely:—
 - 1. (1) These rules-may be called the Defence Accounts Department (Clerk) Recruitment (Amendment) Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Defence Accounts Department (Clerk) Recruitment Rules, 2009, the existing Schedule shall be substituted by the following Schedule, namely:—

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	
(1)	(2)	. (3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Clerk-cum- Typist	1808* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, (Group 'C') Ministerial, (Non- Gazetted)	Pay Band 1, Rs. 5200- 20200 plus Grade Pay of Rs. 1900	Non-selection	No	Between 18 to 27 years of age. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission, (Where recruitment is not through Staff Selection Commission the crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications.)

70	Educational and other qualifications required for direct	RY 5, 2011/M	AGHA 16, 1932	
सीधे भता	recruits a definition of the required for direct	Whether age	and educational	Period of procesion, if
और अन्य		direct recruire	prescribed for	or proceeding, if
-11(01-0	2. (0)	case of promo	otees the	
â	(8)	F ⁽¹⁾ (9)		
50 4 51	l. 12th Class pass or equivalent from a recognised Board or University;	.; (9)	(10)
	Board or University;	Yes, to the exte	ent India.	(10)
	2. A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m.	in column (F1).	iii iiidicated	Two years
1. किर्स	in Hindi on computer. (Time all a little and the speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m.	11		* **
उत्तीर्ण २	(Time allowed - 10 mts.)		. 1	
2. कप्ट	(35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/	*	£.	
	9000 KDPH on an average of 5 key depressions for	~	g.	
30 शब .	V Productions 10F	į.	,	
(अनुज्ञ			6	÷
प्रत्येक		4,	``	
केडीर्प	Method of recruitment; Whether but	*). ****	
और 3	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion of by deputation/absorption and passed the vacancies.	In case	-F - 4: 1	**************************************
	promotion of by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	absornti	of recruitment by	/ promotion/deputation/
भर्ती : आमेर .	and thous	deputation	on, grades fro	promotion/deputation/ m which promotion/
आंमेर	(i) 85% h		on/absorption to	be made
प्रतिश	(i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 10% vacancies shall be filled up for		(12)	
	(ii) 10 % vacancies shall be filled up from amongst the Rs. 1800 and who are placed in Pay Band-1 with Grad R.	şā	As stated in colur	
•1)	Group 'C' Staff who are placed in Pay Band-1 with Grade Pay of qualification.	· i	1.	nn (11).
(i)	Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent the grade on the	Į.		
(ii:	qualification and have rendered three years regular service in The Maximum and have departmental qualifying average in		•	
कर्म		v		
	(50 years for Scheduled one ligibility for examination is 45 years	*** ***		*
+1	(50 years for Scheduled Castes/Scheduled Tribes). Note: If more of soil			
हों ·	Vacancies aveilled of such employees than the number	38	50	×
वर्ष		***		
45	OUTSIDE FOR FILL	<u> </u>		
(?) VIII	• :	· .	
टि .	and considered before those and carried examination	4.	• 134	
रि	(III) 2% of the viscon	1 // 1/2		×.
ত্ত	ntness basis from C	W.	ķ	ii .
ט	regular service in posts with the Comployees who have three years		**	
ч 	regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800.		ă	
				
1.	If a Departmental p	Ä,		
li .	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition			
	, while is the composition	חס	Circumstance	s in which Union.
-	4 10	₩ ES	· ADITO SELVI	Cammin .
	(13)		to be consulted	in making recruitment
lį .	Group 'C' Departmental D	100 to 0		
li l	promotion) consisting of:			(14)
1	or offices other than the		No	t applicable.
	1. Principal Controller of Defence Accounts :- Defence Accounts/Additional Controller of Defence Accounts/Additional Controller of Defence	<u> </u>	and a	
9	Defence Accounted additional and additional additio	nan .		
ii i.	Defence Accounts/Additional Controller of Defence Accounts/Joint Controller of Defence Accounts/Joint Controller of Defence Accounts	:		
. · · · ·	of Defence Accounts	4	i i	
		= 04	~ <u>5</u>	

=	ं नारत का राजपत्र ! फ	रवरा ५, २०११ प्रमाह	박 16, 1932	73
_	(13)		an II a	7,
2.	Deputy Controller of Defence Accounts	-Member		
3.	Assistant Controller of Defence Accounts	-Member	# E	
Fo	r the office of the Controller General of Defence Accoun	ts :	s de la	
1.	Senior Deputy Controller General of Defence Accounts (Aministration)/Deputy Controller General of Defence Accounts (Aministration)	—Chairman		5
2.	Assistant Controller General of Defence Accounts	-Member		
3.	Senior Accounts Officer	-Member		*
	i '			(F No. 9/2)/C/001

AMIT COWSHISH, Addl. Secy. and Addl. Financial Advisor

Note —The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide number S.R.O. 23 dated 15th September, 2009.



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 7]

नई दिल्ली, अप्रैल 15-अप्रैल 21, 2018, शनिवार/चैत्र 25-वैशाख 1, 1940

No. 7]

NEW DELHI, APRIL 15-APRIL 21, 2018, SATURDAY/ CHAITRA 25-VAISAKHA 1, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2018

का.नि.आ. 22.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा लेखा विभाग (लिपिक) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (लिपिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (लिपिक) भर्ती नियम, 2009 में,-
 - (i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर।.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"

- (ii) अनुसूची में, --
 - (क) स्तम्भ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात्:-

2086 GI/2018

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर	
(4)	
स्तर 2	W
(19900-63200 रु.)";	

(ख) स्तम्भ (11) में,-

- (i) शब्दों और अंकों "वेतन बैंड 1 तथा ग्रेड वेतन 1800रू0" के स्थान पर शब्दों, अंकों और कोष्ठक "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000-56900 रु.)" रखा जाएगा।
- (ii) शब्दों और अंकों "ग्रेड 1800 रु." के स्थान पर शब्दों,अंकों और कोष्ठक "स्तर 1 (18000-56900 रु.)" रखा जाएगा।

[फा. सं. 9(2)/सी/2017]

आर. के. कर्ण, अपर वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम तारीख 15 सितम्बर, 2009 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-4 में संख्या का.नि.आ. सं. 23, तारीख 26 सितम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात अधिसूचना सं. का.नि.आ. 9, तारीख 19 जनवरी, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र में 5 फरवरी, 2011 को संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF DEFENCE

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 12th April, 2018

- S.R.O. 22.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Accounts Department (Clerk) Recruitment Rules, 2009, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Clerk) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Clerk) Recruitment Rules, 2009
 - (i) For rule 2, the following rule shall be substituted, namely:
 - "2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules".
 - (ii) in the Schedule,--
 - (a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

14.

1.19

. 11

. 1

· • 1

" Level in Pay Matrix	
(4)	
Level 2	
(Rs. 19900-63200)";	